

No instruction  
plead

10/12/19

के वकील ने पत्रावली में NO instruction

plead किया है। सरकारी पैरोकार

ने जवाब पेश करने हेतु समय

चाहा है। समय दिया जाकर पत्रावली

21/1/20 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मुंबेपुर (पाली)

13/12/19

13/12/19

पत्रावली वकील वादी के शां पत्र

पर तलब की गई। वकील वादी ने

शां पत्र पेश कर निवेदन किया

कि पत्रावली में प्रकरण का आगे

चलाना नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली

तलब कर खारिज करने के आदेश

प्रदान कराये।

हमने पत्रावली का अवलोकन

के पत्र पेश किए एवं वकील वादी के

सुना। वकील वादी द्वारा वाद का

आगे नहीं चलाना चाहने से वाद

जरिचे विद्रोह खारिज किया जाता

है निबंध सुरेश जलाल सुनाया गया

पत्रावली के सल सुमार होकर नम्बर

स कात हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मुंबेपुर (पाली)

